



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-28102022-239872
CG-DL-W-28102022-239872

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 23] नई दिल्ली, अक्तूबर 16—अक्तूबर 22, 2022, शनिवार/ आश्विन 24—आश्विन 30, 1944
No. 23] NEW DELHI, OCTOBER 16—OCTOBER 22, 2022, SATURDAY/ASVINA 24—ASVINA 30, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 2022

का.नि.आ. 59.—प्रादेशिक सेना अधिनियम, 1948 के धारा 14 द्वारा प्रदान अधिकारों के अंतर्गत केंद्र शासन प्रादेशिक सेना नियम, 1948 में निम्नलिखित सुधारणा करती है:-

- संक्षिप्त शीर्षक एवं लागु होने की तिथि –
 - यह नियम प्रादेशिक सेना (संशोधन) नियम, 2022 के शीर्षक से सम्बोधित होंगे।
 - यह नियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने वाली तिथि से प्रभाव में आएंगे।
- प्रादेशिक सेना नियम, 1948 के अनुच्छेद 55 में निम्नलिखित सुधारित अनुच्छेद परिवर्तित किये जाएंगे :-

"55 भर्ती क्षेत्र - प्रभागीय - भर्ती निम्नानुसार क्षेत्रीय आधार पर होगी -

क्षेत्र क्रमांक	राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश
क्षेत्र 1	हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख.
क्षेत्र 2	बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश
क्षेत्र 3	अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और केंद्रशासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
क्षेत्र 4	आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, केंद्रशासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप और पुदुचेरी.

[फा. सं. 46347 / एएमडीटी एसआरओ 37 / एलसी / टीए -4]

सुदर्शन कुमार, अवर सचिव

टिप्पणी : प्रादेशिक सेना नियम, 1948 (संशोधित संस्करण 1976) 55 के अनुच्छेद को सां. नि. आ. 37 दिनांक 11 अगस्त, 2010 द्वारा केवल जम्मू कश्मीर के प्रत्याशियों को जम्मू कश्मीर के अंतर्गत ही प्रादेशिक सेना में

कमीशन प्राप्त करने हेतु आयोजित प्रारंभिक साक्षात्कार समिति में सम्मिलित होने में सुविधा प्रदान करने हेतु सुधारित कर क्षेत्र -5 का निर्माण किया गया था। उपरोक्त निर्माण सां. नि. आ. 37 दिनांक 11 अगस्त, 2010 के प्रकाशित होने की तिथि से वर्तमान तिथि के मध्य कालावधी में घटित किसी भी भर्ती एवं स्थानांतरण पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डालता है। 11 अगस्त, 2010 से वर्तमान तिथि तक घटित भर्ती एवं स्थानांतरण आदि विषयो के सन्दर्भ हेतु जम्मू और कश्मीर क्षेत्र -1 का ही भाग माना जाएगा।

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 17th October, 2022

S.R.O. 59.— In exercise of the powers conferred by section 14 of the Territorial Army Act, 1948 (56 of 1948), the Central Government hereby make the following amendments further to amend the Territorial Army Regulations, 1948, namely :-

1. Short title and commencement. - (1) These regulations may be called the Territorial Army (Amendment) Regulations, 2022.

(2) They shall come in to force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Territorial Army Regulations, 1948, for paragraph 55, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“55. Recruiting-Zonal-Divisions. – Recruiting will be on Zonal basis as under:-

Zone Number	States and Union Territories
(1)	(2)
Zone I	Haryana, Himachal Pradesh, Punjab, Union Territories of Chandigarh, Delhi, Jammu and Kashmir, and Ladakh.
Zone II	Bihar Chhattisgarh Jharkhand Madhya Pradesh Odisha Uttarakhand, and Uttar Pradesh
Zone III	Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Manipur, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura, West Bengal, and Union territory of Andaman and Nicobar Islands.
Zone IV	Andhra Pradesh, Goa, Gujarat, Karnataka, Kerala, Telangana, Tamil Nadu, Maharashtra Rajasthan Union territories of Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu, Lakshadweep, and Puducherry.

[F. No - 46347/Amdt SRO 37/LC/TA-4]

SUDERSHAN KUMAR, Under Secy.

Note : The creation of Zone-V by amending Para 55 of the Territorial Army Regulations, 1948 (Revised Edition - 1976) vide SRO 37 dated the 11th August, 2010 was carried out with the sole purpose of facilitating the conduct of Preliminary Interview Board in respect of the candidates of Jammu and Kashmir for Territorial Army Commission within Jammu and Kashmir itself. The same creation, however, bears no implication on the recruitment and transfers of the Territorial Army personnels, that may have occurred during the period between the publication of the said SRO, dated the 11th August, 2010 and today. For the purpose of recruitment and transfers with effect from dated the 11th August, 2010 till today, Jammu and Kashmir be construed as a part of Zone-I only.